



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,  
रामनगर (नैनीताल)



[dfo\\_ramnagar@rediffmail.com](mailto:dfo_ramnagar@rediffmail.com) दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक:- 2544 / 12-1

दिनांक, रामनगर 18 / 4 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/146450/2021 की आपत्तियों का निराकरण।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक AGM/Tx/NOFN/Ramnagar/ROW-Forest/2020-21/11 दिनांक 08.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी वांछित सूचना निम्न प्रारूप में भरकर प्रेषित की जा

रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे-किनारे OFC केबल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के अन्तर्गत, भारतनेट एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इस आशय हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच अनुबंध MOU No. NOFN/ROW-28 दिनांक 26.10.2012 को किया गया है जो कि परियोजना की लाइफ साइकिल तक मान्य है। मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा भी पत्रांक 360/XXXIV/2014/20/2012 दिनांक 8.08.2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जोकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 3 में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव में एफ०आर०ए० पूर्ण संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में सम्बन्धित आपत्ति की सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-1 में दीयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) परियोजनाओं यथा-सड़क, नहर, पारिषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। FRA की धारा 3(2) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के लिए वन भूमि के Diversion को रैखिक (Linear) परियोजना के मामले में छूट दी गई है।

O/C

3.	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दि गई है।
4.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु श्री टी0 एस0 पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) वी0एस0एन0एल0, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर सम्बन्धि प्रमाण पत्र प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत किया गया है।
5.	प्रश्नगत परियोजना हेतु आवंटित वन भूमि का कुछ भाग पवलगढ संरक्षित आरक्षित वन के अंतर्गत है इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की सहमति/आख्या प्रस्ताव में अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति के अनुपालन में पत्र संख्या 2585/12-1 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6.	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात् प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त सभी कमियों के निराकरण कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोपरि चार प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक:- 2544 /

तददिनांकित:- 18/4/2022

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड जिला-नैनीताल को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

✓ Free Right of way order from Urd Govt. "  
संख्या 986 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

देहरादून: दिनांक ०८ अक्टूबर, 2014

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) कैंबिल बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज-वेहिकिल कानून में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (अ है संलग्न) को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर कैंबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करना में आने वाली जटिलताओं को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इन्फ्लोमेंटेशन एजेंसी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लानी पड़े, इस हेतु ब्लैकट अप्रूवल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर कैंबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 52 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर कैंबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भौति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में लौटाई जाए। सड़क की कटाव को रोकने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क

को पार करने के लिए एचडी0 अथवा हॉरिजेंटल वोरिंग का प्रयोग किया जायेगा ताकि राडक को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूंकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अशुद्धान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विकार, सफल एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

1- जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3-अधिसासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	सदस्य
4-अधिसासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-	सदस्य
5-अधिसासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	सदस्य
6-अधिसासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग-	सदस्य
7-अधिसासी अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग-	सदस्य
8-प्रभागीय वनाधिकारी-	सदस्य
9-जिलापंचायतीराज अधिकारी-	सदस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/नगर अधिकारी-	सदस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-	सदस्य

संलग्नक.- यथोक्त।

भयभीत,  
(सुभाष कुमार)  
मुख्य सचिव

संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तारिखांक

प्रतिलिपि:-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शारान।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।
6. गार्डफाईल।

आज्ञा से,  
*Ram*  
(रविनाथ रामन)  
अपर सचिव

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)  
\*\*\*\*\*

Indira Paryavaran Bhawan,  
Aligarj, Jorbagh Road,  
New Delhi - 110003  
Dated: 26th October, 2021

To  
The Secretary (Forests),  
All State Governments/UT Administrations

**Sub: Clarification on applicability of Forest (Conservation) Act, 1980  
over RoW of Roads - regarding.**

Sir,

The undersigned is directed to refer to the meeting of Group of Infrastructure held on 24.08.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister, RT&H and MSME wherein it has been desired to clarify the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of lands within the RoW, ownership of which rests with the NHAI or State Government. The matter with regard to the applicability of the Act in such lands was examined in the Ministry and after due deliberation following is clarified:

*"if the ownership of land vests with MoRT&H/NHAI/State road constructing agency, it is not a 'forest' as per Government records and the same land is under 'non-forest use' before 25<sup>th</sup> October 1980, then provisions of Forest (Conservation) Act 1980 would not apply".*

This issues with the approval of competent authority.

Sd/-  
(Sandeep Sharma)  
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highway, Transport Bhawan, Parliament Street New Delhi-110001
2. PCCF (HoFF), Department of forests, all States/UTs
3. DDG (F), MoEF&CC's all IROs
4. APCCF cum Nodal Officer (FCA), Department of forests, all States/UTs.
5. PPS to Secretary, (EF&CC)/PPS to DGF&SS, MoEF&C

(2/2)

Signed by Sandeep Sharma  
Date: 26-10-2021 18:52:00  
Reason: Approved

**Form-1**  
**(For Linear project)**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Magistrate, Nainital**

NO..... Dated.....

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoFf), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009, Wherein the MoEf issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverts for non-forest purposes read with MoEf's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 Wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **0.376** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s. **OSNL, NAINITAL** for Lay of Optical Fiber Cable in Nainital District.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire **0.376** Hectares of forest proposed for diversion in case of linear projects.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
- c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.

  
District Magistrate

Nainital

**जिलाधिकारी**  
**नैनीताल**

## - विषय सूची -

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे० से कम क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों, जिन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजन:-पेयजल, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारंपरिक लाईन, भूमिगत ओ०एफ०सी० केबल, सामुदायिक भवन आदि)

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	Form-1 (For Linear Project)Govt. of UKD office of the DM,Nainital	-	1
2.	प्रतिवेदन with letters ROW(free right of way order) UKD Govt.	1	2-3
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4	4-10
4.	Certificate of BSNL Ramnagar Block/NOFN/NT/GMTD/2014-15/03	-	11
5.	BSNL attached with each Survey Reports	-	12-13
6.	BSNL Ramanagar BLK GPsroute diagram with Lat/ Long	-	14-17
7.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	18
8.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	19
9.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	20
10.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र।	6 व 7	21-24
11.	वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	8	25
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	26
13.	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	11 व 11.1	27-28
14.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	29
15.	वार चार्ट का प्रारूप	13	30
16.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6	31-37
17.	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र।	16	38
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	-
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	39
20.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन,आई०टी० एवं आधुनिकरण द्वारा हवाई दूरी का प्रमाण पत्र।	20	40
21.	मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाणपत्र।	29	41-42
22.	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र व परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाणपत्र।	31 व 32	43



23.	लागान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	44
24.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो) संलग्न तहसील रामनगर पर स्थित क्षेत्र की सर्किल दरें (200 मीटर से बाहर)	34	45-46
25.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र/क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्रमाणपत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।	35 व 36	47
26.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	48
27.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे० से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	48
28.	मालवा निस्तारण योजना व मानचित्र।	41	49
29.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	50
30.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	51
31.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	52
32.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने प्रमाणपत्र।	45 व 46	53
33.	MOU (Memorandum of Understanding) DOT, Govt. of India, Govt. of Uttarakhand, BSNL/BBNL	-	54-56
34.	राज्य में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन पत्र मुख्य सचिव द्वारा	-	57-58
35.	Letter NOFN work-Regarding action on review meeting letter from आयुक्त कुमाऊँ मंडल, नैनीताल (Commissioner Kumaon Division, Nainital)	-	59-60
36.	वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन-लाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा	-	61-63
37.	Network connectivity issues in the state of Uttarakhand letter from Director(ASTF-I) Govt. Ministry of Communications, Dept. of Telecommunications, New Delhi	-	64
38.	Letter from PS Office of the Communications, Law & Justice and Electronics & Information Technology to Hon'ble State Minister	-	65
39.	Letter from State Member of Parliament (Rajya Sabha) to Central Telecom Minister for State network Connectivity.	-	66

परियोजना का नाम :—भारत सरकार की " भारत-नेट / नोफन परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

### प्राधिकरण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खंड जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि प्रस्ताव, श्री टी.एस.पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस), बी.एस.एन.एल., हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा अपलोड किया जायेगा।

सहायक महाप्रबंधक  
ट्रांसमिशन, हल्द्वानी (बी.एस.एन.एल.)  
जिला -नैनीताल, (उत्तराखंड),  
Mobile No. 9412000356  
Email Id: agmtxnainital@gmail.com

27.04.2021  
सहायक महाप्रबंधक (प्लानिंग)  
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)  
जिला -नैनीताल (उत्तराखंड)  
सहायक महाप्रबंधक (नियोजन)  
कार्यालय महाप्रबंधक वनसंरक्षण  
नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी-263131



# भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

कार्यालय महा प्रबंधक दूरसंचार जिला नैनीताल  
दूरभाष केंद्र, आवास विकास, हल्द्वानी- २६३१३९

सेवा में,

श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखंड, देहरादून

पत्रांक:- AGM/Tx/NOFN/Ramanagr/ROW-Forest/2020-21/10

दिनांक: 04.04.2022

**प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021**

**परियोजना का नाम:-** भारत सरकार की " भारत -नेट / NOFN परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे - किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

**विषय :-**परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी पर अनापत्ति प्रमाण -पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading नहीं होने के लिए आवेदन।

महोदय,

वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत, उपरोक्त परियोजना भारत सरकार की "भारत -नेट/NOFN परियोजना " के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन, IT एवं आधुनिकरण, उत्तराखंड, देहरादून एफ०न० -3201-2D/2020 -Forest Dept., दिनांक 07 जून 2021 द्वारा परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी KML file द्वारा 678 मीटर निर्धारित की गयी है एवं भारत सरकार का पत्रांक -06-60/ 2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड, देहरादून पत्र संख्या -2585 /12-1, देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त विषय पर अनापत्ति प्रमाण -पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि परियोजना का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके।

प्रारूप 18 व 19, व प्रारूप 20 व अन्य वांछित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

भवदीय

सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस)

GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)  
जिला -नैनीताल (उत्तराखंड)

प्रतिलिपि :- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ।

2. State Head & Sr.GM, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) को सूचनार्थ।

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेडा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रस्ताव FP/UK/OFC/146450/2021

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक-एफ0नं0-3201-2D/2020-..FOREST DEPARTMENT, दिनांक 07 जून 2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा उक्त कार्य हेतु याचित कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 678 मी0 आंकलित की गयी है। प्रस्तावित कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक-6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनापत्ति दी जाती है।

**कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

85, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) फोन - 0135- 2742884 फैक्स नं० 2745691

email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या - 2585 /12-1 , देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल 2022

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-State Head & Sr. GM, Bharat Broadband network limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० पराग मधुकर धकाते)  
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
उत्तराखण्ड।


15/6/2021

कार्यालय

उत्तराखण्ड वन-पर्वत-आपके बंगला

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आयुष्य की सुरक्षा व वन संरक्षण, देहरादून

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड,



सेवा में,

सहायक महाप्रबंधक (दाया)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी0एस0एन0एल0),

जिला-नैनीताल।

विषय :-

परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क/दण्ड जीव अख्यारण्य का विस्तार न होने व हवाई दूरी का प्रभाव धन के लिए का विचार करने के बाद जंगल के प्राय: मंजूरी के लिए आवेदन।

संदर्भ :-

आपका पत्रांक AGMT/NOFN/Ramnagar/ROW-Forest/2020-21/6 दिनांक 22-04-2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अगत कथना है कि भारत नैट/NOFN परियोजनाके अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत राम देड़ा के कोसी बंगला तथा कोसी बंगला के बेलगढ़ फॉरेस्ट डेक पॉस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट डेक पॉस्ट से रथारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑस्टिकल फाइवरी कैंबल (ORC) डालने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कंसेप्चुअल फाइल से हवाई दूरी निम्नवत आकलित की गई है:-

क्र0सं	व्युत्पन्न अख्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/कॉन्वेंशन रिजर्व/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
0	पावलगढ़ कंसेप्शन रिजर्व की निकटतम अन्तर से होकर जा रही है।	
1	सीमा से	
2	कोबट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से 678 मी0	

उक्त हवाई दूरी जी0आई0एल0 तकनीकी ड्रॉग दी गयी कंसेप्चुअल फाइल से सन्निकट आंकलित की गई है।

भववीथ,

Digitally signed by PANKAJ KUMAR

Date: Mon Jun 07 13:23:05 IST

2021

अनमल बंगला

उत्तराखण्ड वन-पर्वत-आपके बंगला  
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आयुष्य की सुरक्षा व वन संरक्षण


उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :- भारत सरकार की " भारत-नेट / नोफन परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी **0.678** किमी० है।

  
ह० /  
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी  
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र सम्यन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।